न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– मेहन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
439/2022	01.11..2022	02.12.2024

उनवान

1. रामनिवास पुत्र श्री रामजीलाल
2. रामकृपाल पुत्र श्री रामजीलाल
3. लाला पुत्र श्री रामजीलाल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0) वादीगण।

बनाम

1. रामानन्द पुत्र रामकुवार
2. अनीशा पुत्री सत्यवीर
3. इन्द्रजीत सिंह पुत्र सत्यवीर
4. कप्तान पुत्र रामकुवार
5. कमलेश पुत्री हरिया
6. कमला पुत्री यादराम
7. कान्ता पुत्री अमरसिंह
8. किरण पुत्री शेरा
9. गायत्री पुत्री जगदीश
10. चमेली पत्नी जगदीश
11. राकेश पुत्र स्व. जगराम
12. रमेश पुत्री स्व. जगराम
13. राजेश पुत्री स्व. जगराम
14. सरिता पुत्री स्व.जगराम
15. सबित पुत्री स्व. जगराम
16. फूली देवी पत्नी स्व. जगराम
17. राजीव पुत्र राजेन्द्र
18. सुरताब देवी पत्नी राजेन्द्र
19. तेजराम पुत्र कल्लू
20. नरेश पुत्र ताराचन्द
21. रामगिरी पत्नी ताराचन्द
22. मन्तोष पुत्री ताराचन्द
23. मनेश पुत्र ताराचन्द
24. तीजकोर पुत्री राकुमार
25. नवीन कुमार पुत्र हरिया
26. निहाली पुत्री यादराम जातियान अहीर निवासीयान सांसेडी
27. पिंकी पुत्री लक्ष्मी जाति अहीर निवासी हाल मोल्हावास तह0 धारूहेडा
28. बनवारी लाल पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी
29. बसन्ती पत्नी अमरसिंह
30. बिमला पुत्री कल्लू
31. भगवानसिंह पुत्र यादराम
32. मन्जू पुत्री शेरा
33. मनोज पुत्र अमरसिंह
34. महेन्द्र पुत्र शेरा
35. महेशचन्द पुत्र अमरसिंह
36. महीपाल पुत्र जगदीश
37. झब्बू पुत्र मोहनलाल
38. झम्मन पुत्र मोहनलाल
39. ललाराम पुत्र मोहनलाल

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

40. कृष्ण पुत्र मोहनलाल
41. छोटन पुत्र मोहनलाल
42. जगराज पुत्र मोहनलाल
43. लली पुत्री मोहनलाल
44. मोहरसिंह पुत्र राधाकिशन समस्त जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी
45. रविन्द्र पुत्र लक्ष्मी जाति अहीर हाल निवासी मोहल्लावास तह0 धारूहेडा
46. राजपाल पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी
47. राजेश पुत्री शेरा
48. रामकला पुत्री हरीसिंह
49. सुरेन्द्र पुत्र रामौतार
50. कृष्णा पुत्री रामौतार
51. सरोज पुत्री रामौतार
52. सुमेला पुत्री रामौतार समस्त जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी
53. रितु पुत्री लक्ष्मी जाति अहीर निवासी हाल मोल्हावास तह0धारूहेडा
54. लाली पुत्री कल्लू
55. शिम्भूदयाल पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी सांसेडी
56. संदीप पुत्र लक्ष्मी जाति अहीर निवासी हाल मोल्हावास तह0धारूहेडा
57. सुनील कुमार पुत्र हरिया जाति अहीर निवासी सांसेडी
58. सुमित्रा देवी पत्नी सत्यवीर
59. सुरेन्द्र पुत्र हरीसिंह
60. सीमा पुत्री अमरसिंह जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली—बहरोड़ (राज0)
61. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली—बहरोड़
62. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली—बहरोड (राज0)

..... प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी
एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,188,53

उपस्थिती:— 1 श्री प्रमोद कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. श्री मंजीत यादव एड0 प्रतिवादीगण की ओर से।

—::निर्णय::—

दिनांक :—02.12.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने दावा इस्तकरार हक तकासमा आराजी मय हुक्म ईम्तनाई दवामी पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 750/0.10 वाके ग्राम सांसेडी के हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 0 लगायात 60 जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काविज काश्तकार है मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है। आराजी मुतनाजा राजस्व रिकॉर्ड मे हम वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच बिना बंटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। इसलिए कानूनन जब तक आराजी का विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो जाता तब तक किसी सहखातेदार को विशेष भू—भाग पर जबरन कब्जा कर मून्तकिल करने का या कच्चा—पक्का निर्माण करने का अधिकार नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन विशेष भू—भाग पर कब्जा कर आराजी को बेचान करने व निर्माण करने कि जूरतजू मे इसलिए हम वादीगण को यह वाद तकासमा आराजी मय हुक्म

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

ईम्तनाई दवामी पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादी डिकी फरमाया जाकर आराजी विवाधित के अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी भूमि के कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब कर वाद फाइन डिकी फरमाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद तामिल प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर दिनांक 15.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 व आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 व धारा 151 सी.पी.सी पेश किया कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा वादीगण ने तकसीम आराजी बाबत वाद पेश किया है परन्तु जमाबन्दी में सभी खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस सूरत में उक्त आराजी का बंटवारा नहीं हो पायेगा। उक्त आराजी में सहखातेदार भंवरसिंह पुत्र चांदोलिया, रामप्यारी पत्नी कल्लू, सरस्वती पत्नी शेरा को उपरोक्त उनवानी मुकदमा में पक्षकार नही बनाया है और उक्त तीनों सहखातेदार फौत हो चुके है ना ही उनके वारिसानों को पक्षकार मुकदमा बनाया है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण की जमाबन्दी संवत 2074–2077 में क्रम संख्या 17 पर सहखातेदार नही मालूम जिसका हिस्सा 1/9 दर्शाया गया है जिसे वाद में कही भी स्पष्ट नहीं किया गया है और इसको कैसे बांटा जायेगा।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त वाद पत्र वादीगण ने शुद्व हस्त से पेश नहीं किया है केवल प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से व भूमि को विवादित बनाने की गरज से उक्त वाद पत्र पेश किया है जिसको मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाये जाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र कतई गलत है अस्वीकार नहीं है जिमन कतई झुठा व मनमाना दर्ज किया गया है। दावा में वर्णित आराजी के किसी भी सहखातेदार को नहीं छोडा गया है। सभी खातेदारों को दावा में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिन पक्षकारों की मृत्यु हो गयी उनके वारिसानों को पक्षकार मुकदमा बनाये गये है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा बिना पूर्ण जानकारी के प्रकरण को लम्बा करने एव हम वादीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है काबल खारीज है खारीज किया जावे। प्रार्थना पत्र जिस प्रकार दर्ज किया गया है कतई गलत है स्वीकार नहीं है। आराजी मुतनाजा का सहखातेदार भंवरसिंह पुत्र चांदोलिया नावल्द फोत हुआ है जिसके अधिक विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 20,21,22,23 व0 37 लगायात 43 हैं इसी प्रकार रामप्यारी पत्नी कल्लू फौत हो चुकी है जिनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 19,30 व 54 है तथा खातेदार सरस्वती पत्नी शेरा फौत हो गयी है जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 34,2.3.58,8,47,32 बनाये गये है। इसलिए दावा में किसी भी सहखातेदारों को तथा मृतकों के वारिसान को नहीं छोडा गया है लेकिन प्रतिवादीगण को ही जानकारी नहीं है जो बिना वजह प्रकरण को लम्बा करने की नियत से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। जो खारीज योग्य है इसलिए खारीज किया जावे। यह प्रार्थना पत्र जिस प्रकार दर्ज किया गया है रिकॉर्ड मे क्रम में संख्या 17 पर 1/9 हिस्सा नहीं मालूम किसके नाम से दर्ज किया हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण किस खातेदार का हिस्सा गलत दर्ज किया जाकर शेष बचे हिस्से को नहीं मालूम कि किस नाम से दर्ज किया गया है जो तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एवं पूर्व जमाबन्दी के मुताबिक यह हिस्सा दुरूस्त होकर रिकॉर्ड में सही दर्ज किया जा सके।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जाने की कृपा करे।

जवाब प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने हस्तगत वाद आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 0.10 वाके ग्राम सांसेडी का तकासमा कराये जाने के संदर्भ में पेश किया है। तकासमा का वाद जमाबन्दी में दर्ज सभी खातेदारान के मध्य किया जाता है एवं जमाबन्दी में दर्ज सभी सहखातेदारान को वाद में कानूनन पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2074–77

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

अनुसार कम संख्या 24 पर भंवरसिंह पुत्र चांदोलिया हिस्सा 7/216 व कम संख्या 38 पर रामप्यारी पत्नी कल्लूसिंह हिस्सा 1/144 एवं कम संख्या 49 पर सरस्वती पत्नी शेरसिंह हिस्सा 1/72 का अंकन हो रहा है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में इन 3 सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि इन्हें कानूनन वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 9 व आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 में दिये गए प्रावधानो के अनुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है वाद वादीगण खारीज योग्य है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 व आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी ख0न0 750 रकबा 0.10 वाके ग्राम सांसेडी खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दिखल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली—बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :— मेहन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
439 / 2022	01.11..2022	02.12.2024

उनवान

1. रामनिवास पुत्र श्री रामजीलाल
2. रामकृपाल पुत्र श्री रामजीलाल
3. लाला पुत्र श्री रामजीलाल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली—बहरोड़ (राज0)

वादीगण।

बनाम

1. रामानन्द पुत्र रामकुवार
2. अनीशा पुत्री सत्यवीर
3. इन्द्रजीत सिंह पुत्र सत्यवीर
4. कप्तान पुत्र रामकुवार
5. कमलेश पुत्री हरिया
6. कमला पुत्री यादराम
7. कान्ता पुत्री अमरसिंह
8. किरण पुत्री शेरा
9. गायत्री पुत्री जगदीश
10. चमेली पत्नी जगदीश
11. राकेश पुत्र स्व. जगराम
12. रमेश पुत्री स्व. जगराम
13. राजेश पुत्री स्व. जगराम
14. सरिता पुत्री स्व.जगराम
15. सबित पुत्री स्व. जगराम
16. फूली देवी पत्नी स्व. जगराम
17. राजीव पुत्र राजेन्द्र
18. सुरताब देवी पत्नी राजेन्द्र
19. तेजराम पुत्र कल्लू
20. नरेश पुत्र ताराचन्द
21. रामगिरी पत्नी ताराचन्द
22. मन्तोष पुत्री ताराचन्द
23. मनेश पुत्र ताराचन्द
24. तीजकोर पुत्री राकुमार
25. नवीन कुमार पुत्र हरिया
26. निहाली पुत्री यादराम जातियान अहीर निवासीयान सांसेडी
27. पिंकी पुत्री लक्ष्मी जाति अहीर निवासी हाल मोल्हावास तह0 धारूहेडा
28. बनवारी लाल पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी
29. बसन्ती पत्नी अमरसिंह
30. बिमला पुत्री कल्लू
31. भगवानसिंह पुत्र यादराम
32. मन्जू पुत्री शेरा
33. मनोज पुत्र अमरसिंह
34. महेन्द्र पुत्र शेरा
35. महेशचन्द पुत्र अमरसिंह
36. महीपाल पुत्र जगदीश
37. झब्बू पुत्र मोहनलाल
38. झम्मन पुत्र मोहनलाल

उपखण्ड अधिकारी

39. ललाराम पुत्र मोहनलाल
40. कृष्ण पुत्र मोहनलाल
41. छोटन पुत्र मोहनलाल
42. जगराज पुत्र मोहनलाल
43. लाली पुत्री मोहनलाल
44. मोहरसिंह पुत्र राधाकिशन समस्त जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी
45. रविन्द्र पुत्र लक्ष्मी जाति अहीर हाल निवासी मोहल्लावास तह0 धारूहेडा
46. राजपाल पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी
47. राजेश पुत्री शेरा
48. रामकला पुत्री हरीसिंह
49. सुरेन्द्र पुत्र रामौतार
50. कृष्णा पुत्री रामौतार
51. सरोज पुत्री रामौतार
52. सुमेला पुत्री रामौतार समस्त जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी
53. रितु पुत्री लक्ष्मी जाति अहीर निवासी हाल मोल्हावास तह0धारूहेडा
54. लाली पुत्री कल्लू
55. शिम्भूदयाल पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी सांसेडी
56. संदीप पुत्र लक्ष्मी जाति अहीर निवासी हाल मोल्हावास तह0धारूहेडा
57. सुनील कुमार पुत्र हरिया जाति अहीर निवासी सांसेडी
58. सुमित्रा देवी पत्नी सत्यवीर
59. सुरेन्द्र पुत्र हरीसिंह
60. सीमा पुत्री अमरसिंह जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)
61. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़
62. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड (राज0)

..... प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी
एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,188,53

उपस्थितीः– 1 श्री प्रमोद कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. श्री मंजीत यादव एड0 प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक 02.12.2024

:–पर्चा डिकीः–

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 व आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी ख0न0 750 रकबा 0.10 वाके ग्राम सांसेडी खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दिखल लेख भण्डार हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना